दिनांक 21-1-19

रवाना:

पत्रावली पेश हुई। अधीन वादीगण तथा अधीन प्रतिवादीगण उक्त। अधीन वादीगण ने पृथक पृथक पेश कर प्रार्थना स्वीकार कर नये वाद का पेश करने की परमीशन के साथ उक्त वाद के जरिये विड्रोल (खारिज) करने का निवेदन किया है। इस पर अधीन प्रतिवादीगण ने आपत्ति पेश की है। हमने अधीन वादीगण तथा अधीन प्रतिवादीगण के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनकर उस पर मनन किया। विवेचन के दौरान वादीगण द्वारा प्रस्तुत विद्याधीन वाद No. 188, 53 R.T. Act विरुद्ध प्रतिवादीगण विड्रोल करने से चलने योग्य नहीं होने से जरिये विड्रोल (खारिज) किया जाता है। वादीगण जब चाहे तब नया वाद पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। न्यायालय नया वाद पेश करने की अनुमति देने उचित नहीं समझता है। निर्णय से इजलास सुनाया। पत्रावली चौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)